

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15018/2024

डॉ. रचिता माथुर पत्नी डॉ. ऋषभ भार्गव, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सी-37,
पीयूष पथ, बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, घूघरा घाटी, मदारपुरा, जयपुर रोड, अजमेर ।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री आर.के.माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य माथुर
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री यश जोशी के लिए श्री विज्ञान शाह, एएजी श्री युवराज सामंत जी के साथ सुश्री नेहा अमोला श्री तिलक वैद

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/93/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

माननीय श्रीमान. जस्टिस समीर जैन

निर्णय

आरक्षित तिथि : 20/12/2024

सुनाई तिथि : 10/01/2025

रिपोर्टयोग्य:

1. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

“(i) दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन में “अन्य विवरण” शीर्षक के अंतर्गत “चयन प्रक्रिया” खंड के अंतर्गत उल्लिखित विवादित शर्त को अवैध और असंवैधानिक घोषित करना तथा इसे संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करना;

(ii) प्रतिवादियों को दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया के लिए कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना का पालन करने का निर्देश देना और दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में सहायक प्रोफेसर (त्वचा और वीडि) के लिए चयन प्रक्रिया को दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना में दिए गए चयन मानदंडों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और यदि याचिकाकर्ता योग्य और मेधावी पाई जाती है तो उसे सभी परिणामी लाभों के साथ सहायक प्रोफेसर (त्वचा और वीडि) के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है;”

तथ्यात्मक विवरण

2. प्रतिवादियों ने दिनांक 27.11.2021 को एक विज्ञापन जारी कर राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 (जिसे आगे "1962 के नियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासित त्वचा एवं वी.डी. संकाय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उक्त विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा 06.05.2022 को निर्धारित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता (अपेक्षित योग्यता होने पर) उपस्थित हुआ और उसी के लिए उत्तर कुंजी 10.06.2022 को जारी की गई।

3. रिट याचिकाओं के एक पूर्ववर्ती बैच (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1777/2022 जिसका शीर्षक हरिओम मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य; एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4027/2022 जिसका शीर्षक डॉ. राजवीर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य और एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5035/2022 जिसका शीर्षक डॉ. राजमल मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है) के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के पद के लिए 27.11.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बैक-लॉग रिक्तियों की अनुचित गणना पर सवाल उठाया गया था (अनुलग्नक-1)। याचिकाओं के उक्त बैच में न्यायालय ने दिनांक 04.05.2022 के आदेश के तहत प्रतिवादी-राजस्थान लोक चयन आयोग (जिसे आगे "आरपीएससी" कहा जाएगा) को उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं

करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन के संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं की गई। फिर भी, उक्त याचिकाओं पर पक्षों के बीच बनी आपसी सहमति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।

4. दिनांक 04.05.2022 के उक्त अंतरिम संरक्षण को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पक्षों में स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 20.05.2024 के आदेश (अनुलग्नक-3) द्वारा याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और उसे प्रतिवादी-पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया। हालाँकि, दिनांक 24.05.2024 के आदेश (अनुलग्नक-4) द्वारा उक्त याचिका पर निर्णय दिया गया।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के नियमों और शर्तों से न्यायालय को अवगत कराने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था; जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि मेधावी उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने और चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के अधिकतम 10% तक निर्धारित किए गए थे (अनुलग्नक-2)। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-आरपीएससी के खिलाफ साक्षात्कार के अंकों को कुल अंकों की संख्या के केवल 10% तक सीमित करने के निर्देश मांगे थे। याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन का निस्तारण

दिनांक 30.05.2024 के आदेश के साथ किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि दिनांक 24.05.2024 के आदेश को तत्काल चयन प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना दिनांक 23.05.2022, संख्या एफ.1(2)डीओपी/ए-11/97 भाग, के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा (अनुलग्नक-6)।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ

6. आरंभ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सहायक अधिवक्ता के साथ यह तर्क दिया कि यह याचिका न तो विलम्ब एवं शिथिलता के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, जैसा कि 2022 से है और अंतरिम संरक्षण वर्तमान विवादित परीक्षा के संबंध में प्रभावी था, और न ही याचिकाकर्ता विबंधन और मौन स्वीकृति के सिद्धांत से प्रभावित है। इसके अलावा, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन न करने की कार्रवाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 तथा अनुच्छेद 141 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उक्त पदों पर चयन का मानदंड साक्षात्कार था, साथ ही यह भी शर्त थी कि यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध कुल रिक्तियों से अधिक होगी, तो आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा ले सकता है। उक्त चयन मानदंड 1962 के नियमों के नियम 19 पर आधारित था,

जिसे 23.05.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि साक्षात्कार से पहले एक लिखित परीक्षा भी निर्धारित की जाती है, तो साक्षात्कार के अंकों का भारांक कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होगा।

8. यह भी तर्क दिया गया कि 30.05.2024 के आदेश के बाद प्रतिवादी-राज्य और आरपीएससी ने 30.05.2024 के आदेश को वापस लेने के लिए अलग-अलग आवेदन (अनुलग्नक-7 और 8) प्रस्तुत किए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने वापस लेने वाले आवेदनों का विस्तृत उत्तर दाखिल किया, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि 23.05.2022 की अधिसूचना को विवादित चयन प्रक्रिया पर लागू किया जाना है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विवादित परीक्षा की समय-सीमा पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि लिखित परीक्षा 06.05.2022 को निर्धारित और आयोजित की गई थी और इसकी उत्तर कुंजी 10.05.2022 को जारी की गई थी; तत्पश्चात, साक्षात्कार प्रक्रिया से पूर्व, दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना जारी की गई, जिसे सामान्य भाषा में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.05.2022 के कैबिनेट निर्णय के आधार पर जारी किया गया तथा राज्य कैबिनेट ने सभी प्रासंगिक कारकों और 1962 के नियमों पर विचार करने के पश्चात स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि चयन प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार के अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया था कि घटनाओं की समयरेखा और न्यायिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के एक मात्र अवलोकन से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कानून के सभी सिद्धांतों के साथ, 23.05.2022 की अधिसूचना, सभी संभावनाओं में अधिकतम अंकों को 10% के रूप में रखते हुए, तत्काल विवादित परीक्षा/चयन प्रक्रिया के लिए भी लागू होगी।

10. बहरहाल, बहस के दौरान प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने उल्लेख किया था कि उक्त परीक्षा में 40% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर, 20% अंक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और शेष 40% अंक साक्षात्कार के आधार पर दिए जाएंगे; हालाँकि, 27.11.2021 के विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त/अंकों के विभाजन का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, अंकों के उक्त विभाजन का उल्लेख 17.01.2020 के एक पूर्ववर्ती विज्ञापन (अनुलग्नक-11) में किया गया था, जिसका वर्तमान आक्षेपित विज्ञापन के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्णतः अप्रासंगिक था ।

11. यह भी कहा गया कि आरपीएससी के अध्यक्ष और एसीएस मेडिकल द्वारा दायर हलफनामों (अनुलग्नक-12 और 13) की सामग्री स्वयं विरोधाभासी है क्योंकि उक्त हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 3 में कहा गया था कि प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा 23.05.2022 की अधिसूचना से पहले कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, जहां इसे लागू किया गया था, जबकि बाद के पैराग्राफ में यह नोट किया गया था कि

व्यावसायिक चिकित्सक, 2022 और अस्पताल केयर टेकर, 2022 के पदों से संबंधित दो भर्ती अधिसूचनाएं क्रमशः 12.05.2022 और 23.05.2022 के विज्ञापनों के माध्यम से अधिसूचित की गई थीं। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से दिनांक 01.07.2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अस्पताल केयर टेकर के 55 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना की शर्तों को लागू करने के लिए और व्यावसायिक चिकित्सक के 24 पदों पर भर्ती के लिए उक्त अधिसूचना को लागू करने के लिए दिनांक 04.08.2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ।

12. तत्पश्चात, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन में "अन्य विवरण" शीर्षक के अंतर्गत "चयन प्रक्रिया" खंड के अंतर्गत उल्लिखित आक्षेपित शर्तों के अनुसार, उम्मीदवार का चयन पूरी तरह से साक्षात्कार के आधार पर होगा और यदि आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, तो प्रतिवादी-आरपीएससी संवीक्षा परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवारों की संख्या उचित सीमा के भीतर रखेगा। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्णतः साक्षात्कार पर आधारित चयन प्रक्रिया न केवल अवैध और चयन की निष्पक्ष एवं पारदर्शी पद्धति के मानदंडों के विरुद्ध है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

13. अनेक तर्कों के बीच, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह था कि 23.05.2022 की अधिसूचना राज्य मंत्रिमंडल की बैठक और 1962 के नियमों के प्रावधानों के परिणामस्वरूप प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना के खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि 23.05.2022 की अधिसूचना केवल भविष्य में ही लागू हो सकती है। अतः, 1962 के नियमों के नियम 19 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिसूचना का सभी समान परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं पर पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए।

14. इस शुरुआती मोड़ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया है। अन्य के अलावा कुछ भरोसेमंद सिद्धांत थे **अजय हसिया और अन्य बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य (1981) 1 एससीसी 722** में रिपोर्ट किए गए, **अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य एआईआर 1987 एससी 454** में रिपोर्ट किए गए और **प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 8 एससीसी 633** में रिपोर्ट किए गए। उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में जहां विज्ञापन की शर्तें मनमानी, अवैध और 1962 के नियमों के नियम 19 के प्रावधानों के अनुसार हैं, कैबिनेट के फैसलों के अनुरूप अधिसूचनाओं का लाभकारी अनुदान लागू किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क।

15. इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने एक स्वर में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का कड़ा विरोध किया है और तत्काल याचिका की स्थिरता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है और इसे देरी और शिथिलता के सिद्धांत से प्रभावित और वर्जित किया जा रहा है क्योंकि इसे लगभग तीन साल की देरी (वर्ष 2024 में) के बाद दायर किया गया है, एक चयन प्रक्रिया/परीक्षा को आक्षेपित किया गया है जिसे वर्ष 2021 में विज्ञापित किया गया था और जिसकी लिखित परीक्षा वर्ष 2022 में निर्धारित और आयोजित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता भी उपस्थित हुआ था।

16. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी आरपीएससी के पूर्ण आयोग ने विधि में अंतिम अंकों का वेटेज आवंटित करने का निर्णय लिया था, स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% वेटेज, शैक्षणिक के लिए 20% और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 40%। वहीं, जिन पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी, उन पर अंकों का आवंटन शैक्षणिक के लिए 40% और साक्षात्कार के लिए 60% था। हालांकि, बाद में यानी 23.05.2022 को (तत्काल चयन प्रक्रिया की लिखित परीक्षा की तारीख के बाद भी) राज्य सरकार द्वारा

विभिन्न सेवा नियमों के प्रावधानों में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत "आवेदनों और परीक्षाओं की जांच" से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया गया और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 10% तक सीमित कर दिया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि संशोधन नियम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। फलतः, कोई प्रत्यावर्ती प्रभाव प्रदान नहीं किया जा सकता

17. अब तक दिए गए तर्कों को पुष्ट करने के लिए, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने **ताजवीर सिंह सोढ़ी एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य** मामले में **2023/आईएनएससी/309** में उल्लिखित अनुपात का हवाला दिया था, और तर्क दिया था कि जिन उम्मीदवारों ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लिया है, वे असफल घोषित होने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकते। उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और निंदा दोनों नहीं कर सकते। इसके अलावा, केवल इसलिए कि उक्त चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या प्रक्रिया में कोई कमी थी।

18. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भी भरोसा जताया था, उनमें से कुछ अन्य के अलावा **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोतदार (1994) 6 एससीसी 293** में रिपोर्ट किए

गए, ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बधावथ (2009) 5 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए, रेखा शर्मा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय - सिविल अपील संख्या 5051/2023, जुगल किशोर सेवड़ा बनाम राजस्थान राज्य - डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17377/2024, तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय 2024 आईएनएससी 847 में रिपोर्ट किए गए, अंजार अहमद बनाम बिहार राज्य और अन्य 1994 (1) एससीसी 150 में रिपोर्ट किए गए।

19. लगातार, विद्वान अधिवक्ता ने आरपीएससी की नोटशीट संख्या 80/247 से 89/256 दिनांक 09.05.2022 पर भरोसा किया था, जो वर्तमान विज्ञापन के लिए भी लागू था और यह तर्क दिया था कि पूर्व-संशोधन प्रकाशन में 1962 के नियम 19 के प्रावधान, विज्ञापन के नियमों और शर्तों के साथ संयुक्त पढ़ने पर याचिकाकर्ता के लिए लागू होंगे और पूर्ण आयोग के निर्णय में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 40% अंक, शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 20% अंक और साक्षात्कार के लिए 40% अंक आवंटित किए जाएंगे और जहां स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, अंकों का आवंटन शैक्षणिक के लिए 40% और साक्षात्कार के लिए 60% होगा।

20. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 1962 के नियमों के नियम 19 की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए इस शुरुआती मोड़ पर 100% साक्षात्कार के मानदंड को हटाने की दलील नहीं दी जा सकती। साथ ही, 1962 के नियमों के नियम

19 के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं और विवेकाधीन हैं; इसलिए प्रतिवादी आरपीएससी ने अपने विवेक से चयन की अपनी पद्धति और तरीका परिभाषित किया था। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त चयन प्रक्रिया विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों, 1962 के नियमों के पूर्व-संशोधित नियम 19 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष या अपारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी।

21. अंत में, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने उपर्युक्त कथनों का समर्थन करते हुए एक स्वर में कहा कि साक्षात्कार में न केवल उम्मीदवार के ज्ञान और बुद्धिमत्ता की जांच की जाती है, बल्कि समग्र व्यक्तित्व, प्रस्तुति, दबाव को संभालने की मानसिक क्षमता, तत्परता और आत्मविश्वास की भी जांच की जाती है, और उक्त गुण उक्त पद के लिए आवश्यक हैं।

चर्चा और निष्कर्ष

22. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित निर्विवाद तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझता है:-

22.1 यह कि प्रतिवादी-आरपीएससी ने 1962 के नियमों के तहत सहायक प्रोफेसर के पद के लिए दिनांक 27.11.2021 को विज्ञापन संख्या 06/2021-22 जारी किया; विभिन्न संकायों में 337 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें क्रम संख्या 1 से 24 तक, पद ब्रॉड स्पेशियलिटी के लिए थे और क्रम संख्या 25 से 43 तक पद सुपर स्पेशियलिटी संकायों के लिए थे।

22.2 "अन्य विवरण" और "चयन प्रक्रिया" के अनुसार, उल्लिखित मानदंड साक्षात्कार द्वारा प्रत्यक्ष चयन पद्धति से था, साथ ही यह भी शर्त थी कि यदि प्राप्त उम्मीदवारों/आवेदनों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक हो, तो आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त विज्ञापन से संबंधित अंश नीचे दोहराया गया है:

"चयन प्रक्रिया :

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकती है।"

22.3 याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह है कि 1962 के नियम 19 के प्रावधानों में दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना के अनुसार संशोधन के कारण, चयन का मानदंड लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार है, इस शर्त के साथ कि किसी भी चयन प्रक्रिया में

साक्षात्कार के अंकों का वेटेज कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होगा। याचिकाकर्ता को यह आशंका है कि साक्षात्कार के लिए 10% से अधिक अंक आवंटित किए जाएंगे, जिससे योग्यता बदल जाएगी और साथ ही, यह सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से चयन का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका नहीं होगा।

22.4 चयन मानदंड 1962 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित किए गए थे, जिसे दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया था। सुविधा के लिए 1962 के नियम 19 के संशोधन पूर्व और बाद के प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“संशोधन के बाद:

19. आवेदनों की जांच और परीक्षण.-

(1) आयोग द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र, जो अपूर्ण पाए जाएँगे, अस्वीकृत कर दिए जाएँगे। परीक्षा में बैठने से पूर्व, अभ्यर्थियों को स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इन नियमों में उल्लिखित आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, यदि कोई हो, आदि से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने से अभ्यर्थी की पात्रता की धारणा नहीं मानी जाएगी। आयोग बाद में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(2) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा और जिन अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त किए होंगे, उन्हें आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के लिए अंकों का आवंटन चयन के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होगा।

संशोधन से पहले:

“19. आवेदनों की संवीक्षा- आयोग अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्ह पाए गए उतने अभ्यर्थियों को, जितने उन्हें वांछनीय लगे, साक्षात्कार के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।”

22.5 उक्त भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22.12.2021 थी और याचिकाकर्ता ने त्वचा और वी.डी. विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए तीन पदों का विज्ञापन दिया गया था।

22.6 मुकदमे के पूर्ववर्ती दौर में, जिसमें याचिकाकर्ता सीपीसी के आदेश। नियम 10 के तहत दायर आवेदन के माध्यम से पक्षकार पक्षों में से एक था; उक्त याचिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग रिक्तियों पर विचार न करने और उनकी गलत गणना करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई

थी। उक्त याचिका, अर्थात् एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1977/2022 (उपरोक्त) पर दिनांक 30.05.2024 के निर्णय द्वारा निर्णय दिया गया था। इसके बाद, एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई।

22.7 उक्त याचिका के परिणामस्वरूप एक अंतरिम संरक्षण (दिनांक 04.05.2022 का आदेश) प्रभावी था, जिसके तहत यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी-आरपीएससी, विवादित चयन/भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी नहीं करेगा। दिनांक 04.05.2022 के अंतरिम संरक्षण आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

"04/05/2022

प्रतिवादी(ओं) के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय माँगा है।

प्रार्थित समय स्वीकृत किया जाता है।

मामला विचाराधीन विज्ञापन में आरक्षण लागू न होने से संबंधित है। इस बीच, प्रतिवादी-आरपीएससी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में परिणाम घोषित न करे। हालाँकि, प्रतिवादी(ओं) को जवाब दाखिल करने के बाद इस आदेश में संशोधन/निरस्तीकरण के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4027/2022 के साथ दिनांक 16.05.2022 को सूचीबद्ध करें। "

22.8 उक्त चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) 06.05.2022 को निर्धारित और आयोजित की गई थी और उसका परिणाम प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा 10.05.2022 को जारी किया गया था। उक्त समय-सीमा से यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों ने उक्त परीक्षा के आयोजन से पहले तत्काल चयन प्रक्रिया की अवैधताओं पर आपत्ति जताई है।

22.9 दिनांक 10.05.2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई और महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना जारी की गई। बैठक के उक्त कार्यवृत्त से संबंधित अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिये भरे जाने जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 (आरएस भर्ती) एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है।"

22.10 न्यायालय ने प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा ऐसी परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए अपनाई गई वर्तमान पद्धति के बारे में बेहतर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अभिलेख

मँगवाए थे। आरपीएससी के अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 10.05.2022 की नोटशीट द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसमें वर्तमान विज्ञापन से संबंधित डायरी में, आरपीएससी ने क्रम संख्या 80/247 89/256 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया है:

"80/247 कृपया पैरा 50/ नोट का अवलोकन करें। इसके तहत आयोग चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य के ब्रॉड स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में यह विभिन्न विषयो जिनमें आवेदन पत्रों की अधिक

संख्या है, के लिए संवीक्षा परीक्षा दिनांक 05 एवं 06 मई, 2022 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था इसके साथ ही सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 10.03.2022 में दिए गए निर्देशों के क्रम में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टिगत समुचित विधिक परीक्षण व सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों का अध्ययन कर परीपूर्ण प्रस्ताव आयोग के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त पैरा 60/नोट पर अंकित प्रस्ताव पर सम्पूर्ण आयोग द्वारा परिसंचरण के माध्यम से विचार किया गया एवं पैरा 60-ए/नोट पर पुष्टि की गई।

81/248 इस कम में सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 10.3.2022 में एजेण्डा संख्या 1, पर लिया गया निर्णय उल्लेखनीय है, जो पेज-1 पर उपलब्ध है। इस सम्बंध में आयोग के विभिन्न अनुभागों द्वारा परीक्षण किया गया। नियम अनुभाग द्वारा प्रकरण में पैरा 25-26/ नोट पर टिप्पणी की गई है कि राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलिजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत सहायक आचार्य के

पद हेतु सीधी भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान उल्लेखित है।

82/249 इसी प्रकार पैरा 27 से 31/नोट पर भर्ती गोपनीय अनुभाग द्वारा टिप्पणी की गई, जिसमें विशेषतः उल्लेखित किया गया है कि यदि कतिपय विषयों/विशिष्टताओं हेतु संवीक्षा परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो, सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24.04.2019 में साक्षात्कार के भारांक के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुसार चयन प्रक्रिया सम्भव नहीं हो पाएगी। अतः सम्पूर्ण आयोग द्वारा दिनांक 24.04.2019 को निर्धारित की गई चयन प्रक्रिया पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक होगा।

83/250 भर्ती "ख" अनुभाग इस संबंध में पैरा 32 से 37/नोट पर की गई टिप्पणी में अंकित गया है कि विज्ञापन पेज-11 पर पर अन्य विवरण के हैंडिंग में चयन प्रक्रिया में अंकितानुसार उक्त पद हेतु अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता हैं।

84/251 परीक्षा आयोजन-11 (अनुभाग) की टिप्पणी पैरा 13 (6) / नोट के अनुसार 45 या इससे संबंधित कम आवेदन पत्रों वाले विषयों और कम संख्या 18. 25 और 31 में अंकित विषयों में सीधा साक्षात्कार आयोजित किये जा सकते हैं।

85/252 विधि अनुभाग द्वारा पैरा 52 से 55/ नोट पर आयोग के निर्णय दिनांक 24.04.2019 द्वारा प्रस्तुत चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार नीति के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व

जयपुर में दायर रिट याचिकाओं का विवरण पेज-24-25 पर प्रस्तुत किया गया है।

86/253 इसी प्रकार विधि अनुभाग द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण पैरा 76 से 79/नोट पर किया गया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि सम्पूर्ण आयोग के निर्णय दिनांक 24.04.2019 साक्षात्कार हेतु संवीक्षा परीक्षा के प्राप्तांक, अकादमिक श्रेष्ठता व प्रश्नोत्तर का भारांक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के विरुद्ध भर्ती खण्ड से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षाओं के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 9 रिट याचिकाएं निस्तारित की गई हैं। जिनका विवरण पेज-24-25 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 08.03.2022 पेज-29 में याचिकाओं को मंजूर करते हुए अवधारित किया है कि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विज्ञापन में अंकित प्रक्रिया से पृथक नहीं हो सकती। विज्ञापन में संवीक्षा परीक्षा के 40 अंक, शैक्षणिक योग्यता के 20 अंक एवं साक्षात्कार के 40 अंक का भारांक निर्धारित किया गया है। अतः साक्षात्कार आयोजित किए जाने से पूर्व संवीक्षा परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता का भारांक जोड़े जाने चाहिए। उक्त निर्णय के विरुद्ध आयोग द्वारा खण्डपीठ में अपील किए जाने का निर्णय लिया जाकर अपील दायर की गई है। उपरोक्त याचिकाओं में आपेक्षित समस्त भर्ती प्रक्रियाओं में संवीक्षा परीक्षा आयोजित की गई थी जो कि केवल मात्र **shortlisting** हेतु की गई थी। इनसे सम्बन्धित नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को **scrutinise** कर पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगा साथ ही इन नियमों के परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि पात्रता निर्धारण हेतु आयोग का

निर्णय अंतिम होगा। सम्पूर्ण आयोग द्वारा जो भारांक का निर्धारण किया गया है, वह साक्षात्कार के लिए किया गया है। साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अंकों का विभाजन किया जाना पूर्णतः साक्षात्कार बोर्ड का स्वविवेकाविकार है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन 27.11.2021 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और यदि आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलिजिस्ट ब्रांच) नियम, 1962 के नियम 19 **Scrutiny of applications** पेज 6 में भी समानार्थी प्रावधान किया गया है। अतः दिनांक 24.04.2019 को आयोग द्वारा भारांक के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की समीक्षा किये जाने में कोई अवरोध नहीं है।

87/254 प्रकरण में सम्बन्ध में माननीय सदस्य (जे.एस.आर.) द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्त विज्ञापन के तहत विभिन्न विशिष्टताओं के लिए भर्ती किए जाने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं:-

(ए) विषयों का विवरण जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए संवीक्षा परीक्षा की तिथि 05 एवं 06 मई, 2022 निर्धारित की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:-

संख्या ब्रॉड/सुपर	विषय	पदों की संख्या	आवेदन की
		संख्या	स्पेशलिटी

1. अनेस्थिसियोलॉजी	21	331	व्यापक विशेषता
2. सामान्य दवा	32	398	व्यापक विशेषता
3. जनरल सर्जरी	41	296	व्यापक विशेषता
4. प्रसूति एवं स्त्री रोग	40	394	व्यापक विशेषता
5. नेत्र विज्ञान	05	136	व्यापक विशेषता
6. टी.बी. और छाती	11	100	व्यापक विशेषता
7. हड्डी रोग	29	286	व्यापक विशेषता
8. ऑर्थो-राइनोलैरिंगोलॉजी	09	162	व्यापक विशेषता
9. बाल रोग	22	282	व्यापक विशेषता
10. मनोचिकित्सा	09	118	व्यापक विशेषता
11. रेडियोडायग्नोसिस	18	76	व्यापक विशेषता
12. त्वचा एवं वी.डी.	03	75	व्यापक विशेषता
13. कार्डियलजी	07	52	सुपर

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/93/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

			स्पेशलिटी
14. न्यूरो सर्जरी	09	57	सुपर स्पेशलिटी

(बी) **Assistant Professor, Geriatric Medicine, Emergency Medicine, Palliative Medicine, Medical Oncology and Paediatrics Nephrology** (कुल 5 विशिष्टताओं) के सम्बन्ध में संशोधित विज्ञापन जारी कर पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अतः उक्त विशिष्टताओं के लिए संवीक्षा परीक्षा आयोजित किए जाने या सीधे ही साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

(सी) निम्नांकित विषयों/विशिष्टताओं के संबंध में सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रस्तावित किया गया है। सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में साक्षात्कार के दौरान भारांक निम्नानुसार रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं:-

शैक्षणिक योग्यता - 40 अंक
साक्षात्कार में प्रदर्शन - 60 अंक

संख्या	विषय	पदों की संख्या	आवेदन की संख्या	ब्रॉड/सुपर स्पेशलिटी
1.	औषध	02	23	व्यापक विशेषता

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/93/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

2. भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास	05	22	व्यापक विशेषता
3. कार्डियो वैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी	05	18	सुपर स्पेशलिटी
4. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	03	14	सुपर स्पेशलिटी
5. नेफ्रोलॉजी	02	4	सुपर स्पेशलिटी
6. बाल चिकित्सा सर्जरी	05	11	सुपर स्पेशलिटी
7. सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	02	24	सुपर स्पेशलिटी
8. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	04	08	सुपर स्पेशलिटी
9. नैदानिक प्रतिरक्षा विज्ञान और रूमेटोलॉजी	02	07	सुपर स्पेशलिटी
10. बाल रोग हृदय रोग	01	05	सुपर स्पेशलिटी
11. बाल रोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	01	04	व्यापक विशेषता
12. बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी	01	4	सुपर स्पेशलिटी
13. बाल चिकित्सा श्वसन तंत्र विज्ञान	01	01	सुपर स्पेशलिटी

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/93/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले मामलों साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

1 पद के लिए	-12 अभ्यर्थियों तक
2 से 3 पदों के लिए	-24 अभ्यर्थियों तक
4 से 6 पदों के लिए	-36 अभ्यर्थियों तक
7 से 9 पदों के लिए	-48 अभ्यर्थियों तक
10 और उससे अधिक पद के लिए	- 50 या उससे अधिक अभ्यर्थियों तक पदों के 5 गुना)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली उक्त संख्या को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्य (जे.एस.आर.) द्वारा उक्त विशिष्टताओं हेतु संवीक्षा परीक्षा का आयोजन न कर सीधे साक्षात्कार किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

शेष निम्नांकित विषयों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए संवीक्षा परीक्षा आयोजित किए जाने एवं तदुपरान्त साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाते हुए आयोग के निर्णय दिनांक 24.04.2019 के अनुसार साक्षात्कार में भारांक रखे जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल 25 विशिष्टताओं में आयोग के निर्णय दिनांक 24.04.2019 के अनुसार साक्षात्कार में भारांक पूर्वानुसार यथा संवीक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत अकादमिक का भारांक 20 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में प्रदर्शन का मानक 40 प्रतिशत रखा जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्णय हेतु प्रकरण सम्पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित कर अथवा परिसंचरण (**Circulation**) के माध्यम से किए जाने हेतु विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। ”

22.11 दिनांक 10.05.2022 के नोट-शीट से पूर्वोक्त दोहराए गए उद्धरण के निष्कर्ष को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर उत्तर में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। सुविधा के लिए उत्तर से संबंधित पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्ण आयोग ने अंतिम अंकों का वेटेज इस प्रकार आवंटित करने का निर्णय लिया था: स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% वेटेज, शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्त अंकों का 20% वेटेज और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 40% वेटेज; जो पिछली भर्तियों में भी मौजूद था, [रिट पेपरबुक का अनुलग्नक 11 - पृष्ठ 130]। जिन पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए कोई भर्ती नहीं हुई थी, वहाँ अंकों का आवंटन शैक्षणिक योग्यता के लिए 40% और साक्षात्कार के लिए 60% वेटेज था। ”

22.12 आरपीएससी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों अर्थात् वर्तमान विज्ञापन के समान प्रकार की पिछली तीन चयन प्रक्रियाओं के अभिलेख और विवरण (जिन पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए कैमरा ट्रायल सुनवाई के दौरान न्यायालय में चर्चा की गई थी) के संबंध में, यह संक्षेप में नोट किया जा सकता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायालय ने फाइल संख्या एफ/7(35) भर्ती/गोपनीय/2014-15, संख्या एफ 7(2) भर्ती/2016-17/गोपनीय, फाइल संख्या एफ 7(38)(5)/2018-19, विज्ञापन संख्या 8/2019-20, विज्ञापन संख्या 4/2016 और विज्ञापन संख्या 3/2015-16 से संबंधित कुछ दस्तावेजों और ई-मेल, विशेषज्ञों को बुलाने की प्रक्रिया और उनकी रिकॉर्डिंग,

साक्षात्कारकर्ताओं के लिए निर्देश, विशेषज्ञों को अपनी राय तैयार करने के निर्देश, साथ ही विवादित विज्ञापन मामले पर पूर्ण आयोग के निर्णय का अवलोकन किया है।

22.13 तीनों चयन प्रक्रियाओं के अवलोकन से न्यायालय का अंतःकरण अत्यंत व्यथित एवं स्तब्ध हो उठा क्योंकि दृष्टिगत हुआ कि प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा एक अपारदर्शी एवं उत्तरदायित्वहीन प्रक्रिया अपनाई एवं उसका अनुपालन किया गया । प्रतिवादी आरपीएससी ने साक्षात्कार पैनल के सदस्यों को सलाहकार और सहायक के रूप में चिह्नित और संबोधित किया था, इन विशेषज्ञों की नियुक्ति के संबंध में कोई युक्तिसंगत कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । अतः, यह माना जा सकता है कि विशेषज्ञों को उक्त साक्षात्कारकर्ताओं के पैनल में केवल नाममात्र के लिए शामिल किया गया था; उनका कोई स्पष्ट रुख नहीं था और अंक आरपीएससी के सदस्यों द्वारा आवंटित किए गए थे।

22.14 अभिलेखों में प्रदर्शित अंक-पत्रों में अंकों का विभाजन या किसी श्रेणीबद्ध विभाजन का उल्लेख नहीं था, इसके अलावा, उन पर विशेषज्ञों (आरपीएससी "सलाहकारों" द्वारा प्रयुक्त शब्दावली) के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही उन पर विशेषज्ञ के हस्ताक्षर थे। लिखित परीक्षा की उत्तर-पत्रिकाएँ एक ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, इसलिए इन्हें अत्यंत सावधानी से रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, आरपीएससी ने स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और मूल परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया है। यह निंदनीय है कि आरपीएससी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से निर्धारित अनुपात निर्धारण का पालन नहीं किया है।

23. अतः, उपर्युक्त पर विचार करते हुए, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से इस याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है:

23.1 दिनांक 27.11.2021 के विवादित विज्ञापन के लिए, जैसा कि अनुलग्नक-11 में निर्धारित है, अर्थात् दिनांक 17.01.2020 के विज्ञापन संख्या 8/2019 20 (जिसे 'पिछला विज्ञापन' कहा गया है) में चयन मानदंड का समर्थन किया गया और उसे अपनाया गया, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 40% अंक, शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 20% अंक और साक्षात्कार के लिए 40% अंक आवंटित किए गए और यदि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाता है, तो कुछ संकायों के लिए, 40 अंक शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए और 60 अंक साक्षात्कार के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसके विपरीत, दिनांक 10.05.2022 की नोट-शीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादियों ने 1962 के नियमों के संशोधित प्रावधानों और मौजूदा विज्ञापन में उल्लिखित मानदंडों को दरकिनार करते हुए, पूर्ववर्ती परीक्षा पर लागू चयन प्रक्रिया के मानदंडों को अपनाया है। अतः यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी-आरपीएससी ने प्रक्रिया के मध्य ही नियमों को बदल दिया है।

23.2 न्यायालय ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1777/2022 में पारित दिनांक 27.07.2024 के आदेश द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और मुख्य सचिव (चिकित्सा) को दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना के प्रभाव के संबंध में उचित औचित्य प्रस्तुत करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और यह भी बताने को कहा कि क्या किसी अन्य परीक्षा में दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना की शर्तों को पूर्वव्यापी प्रभाव

दिया गया था। उक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप आरपीएससी के अध्यक्ष ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें पैराग्राफ संख्या 4 से 10 के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर, दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना को ऑपरेशनल थेरेपिस्ट, 2022 और हॉस्पिटल केयर टेकर, 2022 के पदों पर लागू किया गया था, जिनका विज्ञापन दिनांक 12.05.2022 और 23.05.2022 के विज्ञापनों द्वारा किया गया था। तथापि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने उक्त विवरण नहीं दिया है तथा तथ्य को छिपाया है, जिसके कारण यह न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

23.3 इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु प्रारंभिक मुद्दा यह है कि क्या दिनांक 27.11.2021 (अनुलग्नक-1) के विज्ञापन के आधार पर, याचिकाकर्ता दिनांक 23.05.2022 (अनुलग्नक-2) की अधिसूचना का लाभ लेने का दावा कर सकता है, जिसके तहत 1962 के नियमों के नियम 19 में संशोधन किया गया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया में, परीक्षा के कुल अंकों का अधिकतम 10% केवल साक्षात्कार के लिए आवंटित किया जा सकता है?

23.3.1 उक्त विज्ञापन के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए आवंटित अंकों के संबंध में कोई स्पष्ट विभाजन निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती विज्ञापन अर्थात् दिनांक 17.01.2020 के विज्ञापन (अनुलग्नक-11) में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 40% अंक, शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए

20% अंक और साक्षात्कार के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए थे और यदि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाता है, तो कुछ संकायों के लिए, शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 40 अंक और साक्षात्कार के लिए 60 अंक आवंटित किए जाएंगे।

23.3.2 प्रतिवादी-आरपीएससी ने चयन/भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, वर्तमान परीक्षा में उपर्युक्त विभाजन लागू करने का निर्णय लिया था। उक्त तथ्य प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के पैराग्राफ संख्या 4 में इसे स्पष्ट रूप से निर्विवाद एवं स्वीकार किया गया है।

23.3.3 **अजय हसिया (उपर्युक्त)** में दिए गए अनुपात के अनुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि न तो साक्षात्कार को चयन का मुख्य आधार माना जा सकता है और न ही यह एक विशिष्ट परीक्षा है। इसके अलावा, यह केवल उम्मीदवार की शीघ्रता और बुद्धिमत्ता की जाँच के लिए एक अतिरिक्त चरण हो सकता है। उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“हालांकि, हम यह बताना चाहेंगे कि कॉलेज में प्रवेश के मामले में या यहां तक कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी, **वर्तमान में आयोजित मौखिक साक्षात्कार परीक्षा को एक विशेष परीक्षा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे केवल एक अतिरिक्त या अनुपूरक परीक्षा के रूप में लिया जा सकता है।** और, इसके अलावा, यह देखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उच्च निष्ठा, क्षमता और योग्यता वाले व्यक्ति हों।

हमारा विचार है कि मौजूदा परिस्थितियों में साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक का आवंटन संवैधानिक रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है।

हमारा मानना है कि यह भी वांछनीय होगा कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की टेप रिकार्डिंग की जाए, क्योंकि ऐसा करने पर समसामयिक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, जिससे यह पता चल सकेगा कि साक्षात्कार समिति द्वारा अभ्यर्थियों से क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या उत्तर दिए गए थे। इससे अनावश्यक विवाद समाप्त हो जाएगा, साथ ही साक्षात्कार समिति की संभावित मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।”

(विशेष बल दिया गया)

23.3.4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार यादव (उपर्युक्त)** मामले में पारित अपने निर्णय में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि परीक्षा/भर्ती प्राधिकारियों द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में निश्चित अंक प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही, साक्षात्कार के लिए असाधारण प्रतिशत प्रदान करना मेधावी उम्मीदवारों के प्रयासों और अधिकारों को खतरे में डालता है। इसी से संबंधित अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“28. सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के मामले में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों के प्रतिशत के प्रश्न पर विचार करने पर भी स्थिति भिन्न नहीं है। इन अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रतिशत भूतपूर्व सेवा अधिकारी के मामले में निर्धारित प्रतिशत से कम है, फिर भी यह 22.2 के आंकड़े के साथ काफी अधिक है। यहाँ भी

खंडपीठ ने तथ्य और आँकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया है कि सामान्य वर्ग से वर्तमान चयनों के मामले में मौखिक परीक्षा में अंकों का प्रसार लिखित परीक्षा के अंकों के प्रसार की तुलना में अत्यधिक अधिक था, जिससे लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में अत्यधिक उच्च अंक देकर योग्यता सूची में उच्च स्थान पर पहुँचाया जा सकता था। परिणामस्वरूप, सामान्य वर्ग में मौखिक परीक्षा भी चयन प्रक्रिया में एक निर्णायक कारक बन जाती है, और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में तराजू का झुकाव होता है। यह तथ्य **कोठारी समिति** द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन के संबंध में प्रस्तुत यह अवलोकनों से पूरी तरह प्रमाणित होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा में एक लिखित परीक्षा और उसके बाद मौखिक परीक्षा होती है। इससे पहले 1948 में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत 22 था और इसे 1951 में मामूली रूप से घटाकर 21.60 कर दिया गया और फिर 1964 में इसे घटाकर 17.11 कर दिया गया। कोठारी समिति ने 1976 में दी गई अपनी रिपोर्ट में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों के प्रतिशत को और कम करने का आग्रह किया और दृढ़ता से सिफारिश की कि मौखिक परीक्षा कुल 3000 अंकों में से केवल 300 अंकों की होनी चाहिए। कोठारी समिति ने बताया कि जहाँ मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत 17.11 था, वहाँ भी चयनित लगभग एक-चौथाई उम्मीदवारों की सफलता का श्रेय मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को जाता है। कोठारी समिति ने इस अनुपात को "कुछ हद तक उच्च" माना था । यह ध्यान देने

योग्य है कि कोठारी समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत और भी कम करके 12.2 कर दिया गया। इसका परिणाम यह है कि पिछले कुछ वर्षों से, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए भी, जहाँ उम्मीदवार का व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगत विशेषताएँ और गुण चयन के उद्देश्य के लिए अत्यंत प्रासंगिक होते हैं, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक कुल अंकों का केवल 12.2 प्रतिशत ही होते हैं। अब यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन के मामले में यह पाया गया कि मौखिक परीक्षा के लिए 17.11 प्रतिशत अंकों का आवंटन भी अधिक था और यह लगभग एक-चौथाई चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के कारण चयन सूची में स्थान दिलाने के लिए जिम्मेदार था, तो मौखिक परीक्षा के लिए 22.2 प्रतिशत अंकों का आवंटन निश्चित रूप से मनमानी की व्यापक गुंजाइश पैदा करेगा। जब भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए भर्ती नीति और चयन विधियों की जाँच के उद्देश्य से गठित कोठारी समिति, जो निस्संदेह एक विशेषज्ञ समिति है, ने यह विचार व्यक्त किया कि मौखिक परीक्षा के लिए 17.1 प्रतिशत अंकों का आवंटन अत्यधिक था और इसे कम किया जाना आवश्यक था, तो यह मानना उचित होगा कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं, जो राज्य में समान प्रकृति की सेवाएँ हैं, में चयन के मामले में मौखिक परीक्षा के लिए 22.2 प्रतिशत अंकों का आवंटन अनुचित था। इसलिए हमें मौखिक परीक्षा के लिए कुल अंकों के 22.2 प्रतिशत

के आवंटन को चयन प्रक्रिया को मनमानेपन के दोष से ग्रसित कर देने के रूप में देखना चाहिए।

29. लेकिन फिर विचारणीय प्रश्न यह है कि भूतपूर्व सेवा अधिकारियों और अन्य अभ्यर्थियों, दोनों के मामले में मौखिक परीक्षा के लिए इतने अधिक अंक आवंटित करने का हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि हमारा मानना है कि इन दोनों मामलों में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत अत्यधिक है, फिर भी हमें नहीं लगता कि लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयनों को रद्द करने में अपने विवेक का प्रयोग करना उचित होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी पहले ही विभिन्न पदों पर नियुक्त हो चुके हैं और पिछले लगभग दो वर्षों से इन पदों पर कार्यरत हैं। इसके अलावा, पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व सेवा अधिकारी के मामले में 33.3 प्रतिशत अंक और अन्य अभ्यर्थियों के मामले में 22.2 प्रतिशत अंक मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, लगभग 50 वर्षों से लागू हैं और सभी ने इन्हीं नियमों के आधार पर कार्य किया है। यदि इन नियमों में निहित निर्देशों के अनुसार किए गए चयनों को अब रद्द कर दिया जाता है, तो इससे ऐसे चयनों के आधार पर पहले से की गई बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की ईमानदारी और दक्षता गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए, हम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयनों को रद्द करने का प्रस्ताव नहीं रखते, हालाँकि ये चयन मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों के अत्यधिक उच्च प्रतिशत के आधार पर किए गए हैं

30. अब यदि भूतपूर्व सेवा अधिकारियों के मामले में 33.3 और अन्य उम्मीदवारों के मामले में 22.2 अंकों का इतना अधिक प्रतिशत आवंटित किया गया है। जैसा कि हमारा मानना है, मौखिक परीक्षा के लिए यह अत्यधिक है, तो इन दोनों मामलों में मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का उचित प्रतिशत क्या होना चाहिए। जहां तक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का संबंध है, हमारा मानना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाए गए प्रतिशत का पालन करना विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत 12.2 है और इसे उचित और न्यायसंगत पाया गया है, क्योंकि यह लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के बीच उचित संतुलन बनाता है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इसके बाद हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन के मामले में, जहां प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक चयन के उद्देश्य से ध्यान में रखे गए कुल अंकों के 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। हम सुझाव देंगे कि यह प्रतिशत अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह वांछनीय है कि पूरे देश में चयन प्रक्रिया में एकरूपता हो और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रथा को राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अपनाने और अनुसरण करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में लिया जाना चाहिए। पूर्व-सेवा अधिकारियों के मौखिक परीक्षा मामले के लिए आवंटित अंकों का

प्रतिशत, जिन कारणों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रतिशत से कुछ अधिक हो सकता है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि भूतपूर्व सेवा अधिकारियों के मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे सामान्यतः मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति होंगे जिनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित होगा, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत 25 हो सकता है। भविष्य में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी चयन किया जाएगा, वह इस आधार पर होगा कि मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में 12.2 प्रतिशत और भूतपूर्व सेवा अधिकारियों के मामले में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

33. तदनुसार हम अपील स्वीकार करते हैं, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हैं तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं में किए गए चयन की वैधता को चुनौती को अस्वीकार करते हैं। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और मौखिक परीक्षा में आवंटित अंक अत्यधिक थे, यह संभव है कि कुछ अभ्यर्थी जो अन्यथा चयन सूची में आ सकते थे, संभवतः अनुचित रूप से चयन सूची से बाहर रह गए हों। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, लेकिन चयन सूची में स्थान न पा सकने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाए, जो अब इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आयोजित की जाएगी और यह अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए, भले ही वे हरियाणा

सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं में भर्ती के लिए नियमों द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हों। हम निर्देश देते हैं कि मामले की परिस्थितियों में हम यह निर्देश देते हैं कि व्यय के संबंध में न्यायोचित आदेश यह होगा कि प्रत्येक पक्षकार समस्त वादावधि के लिए अपने-अपने व्यय स्वयं वहन एवं अदा करे।।”

(विशेष बल दिया गया)

23.3.5 कि प्रवीण सिंह (उपरोक्त) में समाहित अनुपात में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान दृष्टिकोण अपनाया गया था।

9. कुलश्रेष्ठ का मामला (उपरोक्त) क्या दर्शाता है?

क्या इसमें यह कहा गया है कि उम्मीदवारों की योग्यता के आकलन का एकमात्र तरीका साक्षात्कार ही होना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ में नहीं हो सकता। हमें डर है कि इसमें हेराफेरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालाँकि, नियुक्ति के मामले में साक्षात्कार निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह एक रणनीतिक भूमिका निभाता है, लेकिन यह एक ऐसी कमी को भी जन्म देता है जिससे नियुक्तियाँ अवैध हो जाती हैं। ज़ाहिर है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इसे एकमात्र मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल इसी पर निर्भर रहने से 'कार्यवाही की शुद्धता को नुकसान' पहुँच सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला का उल्लेख किया है, लेकिन हमें उन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही हम कोई विरोधात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं। अशोक कुमार के मामले

में: एआईआर 1987 एससी 454, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा: इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों का आकलन करने में एक बहुत ही उपयोगी कार्य करती है और वास्तव में व्यक्ति की स्वयं की परीक्षा लेती है और इसलिए इसे लिखित परीक्षा के साथ एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।

10. लीला धर के मामले में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा परिकल्पित स्थिति [लीला धर बनाम राजस्थान राज्य: (1981) आईआईएलजे 297 एससी] जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था, वह संदर्भगत तथ्यों से पूरी तरह अलग है और उस पर भरोसा भी पूरी तरह से गलत है। न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने उस सेवा के मामले पर चर्चा की जिसमें भर्ती अनिवार्य रूप से परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से की गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय दिया गया। कि 'बुनियादी और आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन साक्षात्कार परीक्षा ही एकमात्र रास्ता हो सकता है।" वर्तमान संदर्भ में तथ्य पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारियों से संबंधित हैं। संबंधित नौकरियों की प्रकृति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, न तो नौकरी के लिए परिपक्व व्यक्तित्व की आवश्यकता है और न ही भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, सेवा आयोग ने स्वयं लिखित परीक्षा को मौखिक परीक्षा के रूप में मान्यता दी है। इसलिए मुद्दा यह है कि क्या निर्देश नोट के साथ पढ़े गए नियमों की उचित व्याख्या पर, लिखित परीक्षा को केवल योग्यता परीक्षा माना जा सकता है और नियुक्ति केवल मौखिक परीक्षा के

माध्यम से दी जा सकती है - हालांकि इसे सीधे पढ़ने से पूछे गए प्रश्न को नकार दिया जाएगा।

(विशेष बल दिया गया)

23.3.6 इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर जो दृष्टिकोण निकाला गया है, उस पर विचार करते हुए यह माना जा सकता है कि एक परीक्षा/चयन/भर्ती प्राधिकरण को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करते समय अंकों/प्रतिशत को परीक्षा के विभिन्न स्तरों/भागों अर्थात् लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि में विभाजित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत कम परिस्थितियों में साक्षात्कार को चयन का एकमात्र आधार माना जा सकता है। फिर भी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 स्पष्ट रूप से लोक सेवा/भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता, तर्कसंगतता, पारदर्शिता और मनमानी न होने को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, अनावश्यक विवादों और मनमानी से बचने के लिए उम्मीदवारों द्वारा दिए गए साक्षात्कारों की टेप-रिकॉर्डिंग की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं, उदाहरण के लिए यूपीएससी-सीएसई, में मौखिक परीक्षा का अधिकतम 10-15% वेटेज होता है।

24. यह ध्यान देने योग्य है कि आरपीएससी अध्यक्ष ने अपने हलफनामे (अनुलग्नक-12) में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ऑपरेशन थेरेपिस्ट, 2022

और हॉस्पिटल केयर टेकर, 2022 के विज्ञापन, जो क्रमशः दिनांक 12.05.2022 और 23.05.2022 के विज्ञापन द्वारा अधिसूचित किए गए थे, पर दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना में दिए गए निर्देश लागू होते हैं। अतः, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उक्त अधिसूचना का केवल भावी प्रभाव होगा, असंगत है।

25. इसके साथ ही, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि यदि मंत्रिमंडल ने इस उद्देश्य से सचेत निर्णय लिया है कि यदि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार लिया जाना है, तो उक्त साक्षात्कार कुल अंकों के केवल 10% का होगा। तत्पश्चात, महत्वपूर्ण पहलुओं और आवश्यक परिस्थितियों पर विचार करते हुए, सार्वजनिक भर्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से पारित निर्णयों के अनुरूप कार्य करने के उद्देश्य से, उक्त शर्त को नियम 19 में प्रक्रियात्मक संशोधन के माध्यम से 1962 के नियमों में भी शामिल किया गया। 1962 के नियम राजस्थान चिकित्सा सेवा के पदों पर भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं और राज्यपाल की सहमति और अनुमोदन से इन्हें लागू और संशोधित किया जाता है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि प्रक्रियात्मक कानून हमेशा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं और एक निहित अधिकार का निर्माण करते हैं; 1962 के नियम ऐसे ही प्रक्रियात्मक नियमों में से एक हैं। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1962 के नियमों में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और

इसलिए, साक्षात्कार के लिए उक्त अधिकतम 10% वेटेज तत्काल चयन प्रक्रिया के लिए लागू किया जाएगा।

26. यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्रतिवादियों ने **तेजप्रकाश (उपरोक्त)** के फैसले की गलत व्याख्या की है, क्योंकि शासकीय प्रतिमाओं की अवहेलना करने का प्रतिवादियों का कृत्य स्वयं दर्शाता है कि प्रतिवादियों ने नियमों को बदल दिया है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी की जा सकती है कि ऊपर उल्लिखित अन्य दो परीक्षाओं में प्रतिवादियों ने 23.05.2022 की अधिसूचना की शर्त को लागू किया है और आरोपित परीक्षा में विचलित नीति अपनाई है। इसलिए, न्यायिक समानता बनाए रखते हुए यह ध्यान दिया जा सकता है कि तत्काल मामले में भी प्रतिवादी चयन प्रक्रिया की अवधि के दौरान नियमों को नहीं बदल सकते हैं और एक अप्रचलित विभाजन से गुजर सकते हैं जो पिछले विज्ञापन (वर्ष 2019-20 के) में अपनाया गया था जो 1962 के नियम 19 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

27. परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान याचिका विलंब और लापरवाही के सिद्धांत से वर्जित नहीं है और न ही प्रतिवादियों की यह दलील उचित ठहराई जा सकती है कि परीक्षा देने के बाद याचिकाकर्ता एक ही समय में अनुमोदन और अस्वीकृत नहीं कर सकता।

28. क्रमिक रूप से, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (उपरोक्त), ए.पी. लोक सेवा आयोग (उपरोक्त) और खेतान प्रकाश एवं अन्य (उपरोक्त)** में दिए गए कथनों पर भरोसा निम्नलिखित कारणों से अलग-अलग तथ्यात्मक और लीगल मैट्रिक्स का है:

28.1 उक्त निर्णयों में विधि का प्रश्न 1962 के नियम 19 के असंशोधित प्रावधानों से संबंधित था ।

28.2 याचिकाकर्ताओं ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, उनमें वे असफल रहे हैं और अयोग्य थे, जबकि मामले में याचिकाकर्ता ने अच्छी योग्यता हासिल की थी और वर्तमान याचिका, शासन के नियमों के प्रावधानों पर विचार किए बिना साक्षात्कार में अंकों/प्रतिशत/वेटेज के अत्यधिक आवंटन का विरोध करते हुए दायर की गई है।

29. इस प्रारंभिक मोड़ पर, प्रतिवादी-आरपीएससी की मनमानी कार्रवाई के कारण उत्पन्न असहनीय परिस्थिति पर विचार करते हुए, यह न्यायालय **आशा बनाम पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य (2012) 7 एससीसी 389** में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा करना उचित समझता है और इसे **आशा (उपरोक्त)** में स्पष्ट किया जा सकता है। इस न्यायालय का विचार है कि

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त योग्यता ही सार्वजनिक परीक्षाओं में चयन का एकमात्र मानदंड होनी चाहिए, और तकनीकी औपचारिकताओं के कारण किसी भी तरह से मेधावी याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को कुंठित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

30. संक्षेप में यह ध्यान देने योग्य है कि, आरोपित विज्ञापन में परीक्षा की विधि और अंकों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं किया गया था; कि प्रतिवादी-आरपीएससी ने कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत कार्य किया है, तथा **अजय हसिया (उपरोक्त), अशोक कुमार यादव (उपरोक्त) और प्रवीण सिंह (उपरोक्त)** के कथनों में उल्लिखित न्यायिक दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है; कि प्रतिवादियों ने 1962 के नियम 19 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसके संशोधन के बाद के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है; कि चूंकि 1962 के नियम 19 में संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति का था और यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की गई राय के अनुरूप किया गया था, इसलिए इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा; कि प्रतिवादियों ने बाद की चयन प्रक्रियाओं में, जो क्रमशः 12.05.2022 और 23.05.2022 के विज्ञापनों के माध्यम से ऑपरेशनल थेरेपिस्ट, 2022 और हॉस्पिटल केयरटेकर, 2022 के पद पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, ने 23.05.2022 की अधिसूचना के पूर्वव्यापी संचालन को लागू किया है; कि

प्रतिवादियों ने स्वयं इस तथ्य को (हलफनामों में) स्वीकार किया है कि उन्होंने पिछले विज्ञापन की अप्रचलित शर्तों को तत्काल विज्ञापन में लागू किया है जिससे नियमों में बीच में ही बदलाव आ गया है; कि पूर्ववर्ती तीन भर्ती प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह देखा गया है कि प्रतिवादी-आरपीएससी ने न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है और न ही पारदर्शी और उचित तरीके से रिकॉर्ड बनाए रखा है, इसके अलावा, जो विशेषज्ञ साक्षात्कार बोर्ड का हिस्सा थे, उन्हें "सलाहकार या सहायक" के रूप में संबोधित किया गया था; **आशा (उपरोक्त)** में पारित उक्ति पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस मत पर है कि किसी भी चयन प्रक्रिया में, चाहे वह किसी मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा हो या कोई सार्वजनिक भर्ती परीक्षा, किसी उम्मीदवार के चयन का एकमात्र आधार केवल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता ही होगी। उम्मीदवार की बुद्धिमत्ता की जाँच करने का सबसे प्रभावी तरीका साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा है और किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा को साक्षात्कार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

31. अतः, उपर्युक्त चर्चा और निष्कर्षों पर विचार करते हुए; और चिकित्सा जगत में व्याप्त संकट को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय प्रतिवादियों को निर्देश देता है कि वे सहायक प्रोफेसर पद के लिए दिनांक 27.11.2021 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया को दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना, 1962 के नियमों के

संशोधित नियम 19 और अजय हसिया (उपरोक्त) एवं अशोक कुमार यादव (उपरोक्त) के निर्णयों में उल्लिखित अनुपात के अनुरूप पूरा करें। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर उसके द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर ईमानदारी से विचार किया जाएगा।

32. उपर्युक्त निष्कर्षों और निर्देशों के आलोक में, यह याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं। स्थगन आवेदन और/या अन्य लंबित आवेदन भी निस्तारित माने जाते हैं।

33. आरपीएससी से मंगवाए गए अभिलेख, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, संबंधित प्राधिकारी को सौंपे जाएँ। रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे अभिलेखों के प्रयोजनार्थ न्यायालय में उनकी फोटोस्टेट प्रति रखें।

(समीर जैन), जे

प्रीति असोपा

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate